समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 12-07-2014 को पुरैनी प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12-07-2014 को 01:15 बजे अप0 में पुरैनी प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी उपस्थित थे। स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

(1) अंचल कार्यालय /आर0टी0पी0एस0 :-

अंचल कार्यालय /आर0टी0पी0एस0 कार्यालय, पुरैनी का निरीक्षण 01:15 बजे दिन में किया गया। स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

➢ लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम दिनांक 15-08-2011 से लागू है। सम्प्रति इस कार्यालय द्वारा किये गये कार्यो की विवरणी निम्न प्रकार पायी गई :-

Offline	UID Till 31-12-2013	UID from 1st Jan, 2014 to till date	Total	Disposal	Pending	Expire
Socical Welfare	3483	420	3903	3811	92	0
M.K.V.Y	1140	330	1470	1458	12	0
R.P.L.Y	43	31	74	73	1	0
Residentail	19111	4470	23581	23538	43	0
Income	13782	2424	16206	16180	26	0
Caste	13276	2235	15511	15487	24	0
Mutation	7132	974	8106	7956	150	0
L.P.C	702	140	842	834	8	0
Tatkal Seva Residence	0	374	374	374	0	0
Tatkal Seva Income	0	86	86	86	0	0
Tatkal Seva Caste	0	71	71	71	0	0
Total	58669	11555	70224	69868	356	0

➢ उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी भी 356 मामलें लंबित हैं। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाए।

➢ जांच के क्रम में पाया गया कि तत्काल सेवा, जो 15-01-2014 से लागू हैं, उसके अन्तर्गत बहुत कम आवेदन यथा- आवासीय-374, आय-86 एवं जाति-71 आवेदन ही प्राप्त हुये हैं। लगता है कि तत्काल सेवा के संबंध में लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया

कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि आवेदक आवेदन देकर सरकार द्वारा दिये गये सुविधा का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सके।

➢ आर0टी0पी0एस0 कार्यालय के बगल में दूसरे कमरें में एस0ई0सी0सी0 का आवेदन प्राप्त किया जा रहा था। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि जो सहायक आवेदन प्राप्त कर रहे थें, उन्होंने बताया कि नये सिरे से भी कुछ आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें श्री सुबोध शर्मा, पे0-सिबचु शर्मा, ग्राम-औराय, वार्ड नं0-06 तथा श्री कैलाश शर्मा, ग्राम-औराय, वार्ड नं0-04 है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी को निदेश दिया गया कि आवेदनों की छंटनी कर जांच कराते हुए डाटा इन्ट्री हेतु जिला कार्यालय को निर्धारित तिथि तक सभी आवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी, पुरैनी)

(2) <u>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरैनी :-</u>

अधोहस्ताक्षरी द्वारा 01:30 बजे अप0 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरैनी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरैनी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि यहां पर 03 चिकित्सक पदस्थापित हैं और सभी उपस्थित हैं।

जननी बाल सुरक्षा पंजी की जांच की गयी। श्रीमती रम्भा देवी, पति-श्री बिको शर्मा का प्रसव दिनांक 24-06-2014 कों हुआ है, परन्तु उन्हें आज जननी बाल सुरक्षा अन्तर्गत राशि का चेक नम्बर- 3166729567 दिया गया है। पंजी की जांच की गयी, कई लाभुकों को अभी तक चेक की राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कई लाभुकों के फोटो भी नहीं लगाये गये हैं तथा आशा का हस्ताक्षर भी नहीं है। भुगतान पंजी में आशा नहीं है, नहीं लिखा गया है, जिससे अनियमितता परिलक्षित होती है। इसी तरह माता पंजी की जांच की गयी, माता पंजी के क्रमांक-401 श्रीमती सोनी देवी, पति-श्री सोलेन्द्र सिंह पर भी फोटो नहीं लगाया गया है, इनका प्रसव दिनांक 18-06-2014 को हुआ है और राशि अभी तक नहीं दी गयी है। इसी प्रकार क्रमांक-321 बीबी खातुन, पति-मो0 याकुब आलम में आशा का नाम लिखा हुआ है, परन्तु आशा का हस्ताक्षर नहीं है, बाद में इसे काटकर No Asha लिखा हुआ है।

कई बैठकों में निदेश दिया गया है कि हर मंगलवार को कैम्प लगाकर जननी बाल सुरक्षा से संबंधित बचे हुये लाभुकों का भुगतान किया जाए। साथ ही वर्तमान में प्रसव के 24 घंटे के अन्दर /प्रसव से डिस्चार्ज के पश्चात् भुगतान करने का निदेश दिया गया है, परन्तु उक्त निदेश का अनुपालन कहीं भी नहीं हुआ है। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन हरहाल में सुनिश्चित करायें। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि खाता नहीं भी खुला है, तो

भी हरहाल में प्रसव के बाद माता को डिस्चार्ज करते समय चेक की राशि अवश्य दे दी जाए।

निरीक्षण के समय उपस्थिति पंजी की भी जांच की गयी। श्रीमती पुनम कुमारी, ए0एन0एम0 तथा श्री रेणु कुमारी, ए0एन0एम0 द्वारा उपस्थिति नहीं बनायी गयी थी, न ही कोई आवेदन स्वीकृत किया हुआ पाया गया। निदेश दिया गया कि बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवैध रूप से अनुपस्थिति के लिए इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए एवं मंतव्य के साथ सिविल सर्जन, मधेपुरा को भेजा जाए। निर्णय होने तक इनका वेतन आज दिनांक 12-07-2014 का स्थगित किया जाता है।

(अनुपालन-प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरैनी)

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1952/गो0, मधेपुरा, दिनांक 14/07/2014

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी /अंचल अधिकारी, पुरैनी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरैनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज /सिविल सर्जन, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा / कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

14.07.14

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

(४)

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
मधेपुरा